राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर।

क्रमांक : सीबी/सीएएस/विविध/2024/128 दिनांक : 02/4/2024

अति0 पुलिस अधीक्षक(प्रशा0)
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,राज0 जयपुर।
समस्त संयुक्त निदेशक, जोन–कार्यालय
समस्त मु0चि0 एवं स्वा0 अधिकारी,राजस्थान।
समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी।

विषय : भ्रष्टाचार/आपराधिक प्रकरणों में आरोपित अधिकारियों के विरूद्व अनुशासनिक कार्यवाही के प्रस्तावों के सम्बन्ध मे।

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक(क–3/शिकायत) विभाग के परिपत्र क्रमांक प. 2(157)का./क–3/शिका./1997 दिनांक 06.11.2023 की और आपका ध्यान आकर्षित कर निर्देशानुसार लेख है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो व पुलिस विभाग द्वारा लोकसेवको के विरूद्व दर्ज आपराधिक प्रकरणों में यदि विभागीय आचरण नियमों का भी उल्लघंन किया जाना पाया जाता है, तो ऐसे लोकसेवकों के विरूद्व न्यायिक कार्यवाही के साथ–साथ प्रकरण के तथ्यों के परीक्षण उपरान्त सामानान्तर रूप से अनुशासनिक कार्यवाही किये जाने हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 30च.08.2017 एवं 22.04.2019 के द्वारा प्रसारित किये गये है। उक्त परिपत्र के अनुरूप आरोपित अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्व कार्मिक विभाग के परिपत्र अनुसार अविलम्ब निदेशालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें। उक्त प्रकरणों में विलम्ब करने में संबंधित अधिकारी नियमानुसार उत्तरदायित्व निर्धारित किया जावेगा।

निदेशक (जन स्वा0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान जयपुर।

क्रमांक : सीबी/सीएएस/ विविध/2024/128 दिनांक : 02/4/2024

प्रतिलिपिः– प्रभारी अधिकारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि संबंधित कार्यालय एवंविभागीय वैब साईट पर पत्र अपलोड कराने का श्रम करावें। संलग्नः– परिपत्र की प्रति।

निदेशक (जन स्वा0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान जयपुर।

RajKaj Ref
6343060

Signature Not Verified
Digitally Signed by RAVI PARKASH MATHUR
Designation : Director
Date :28-03-2024 02:34:31

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–3 / शिकायत) विभाग

क्रमांकः–प.2(157)का. / क–3 / शिका. / 1997 जयपुर, दिनांक :– 06 NOV 2023

समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव /
प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव /
समस्त संभागीय आयुक्त /
समस्त विभागाध्यक्ष (जिला कलक्टरों सहित)

परिपत्र

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो व पुलिस विभाग द्वारा लोक सेवकों के विरूद्ध दर्ज आपराधिक प्रकरणों में यदि विभागीय आचरण नियमों का भी उल्लंघन किया जाना पाया जाता है, तो ऐसे लोक सेवकों के विरूद्ध न्यायिक कार्यवाही के साथ–साथ प्रकरण के तथ्यों के परीक्षण उपरांत समानान्तर रूप से अनुशासनिक कार्यवाही भी किये जाने हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश इस विभाग के परिपत्र क्रमांक प.2(157)का. / क–3 / 97 दिनांक 30.08.2017 एवं 22.04.2019 द्वारा प्रसारित हैं। राज्य सरकार के ध्यान में लाया गया कि उक्त परिपत्रों की पालना पूर्ण रूप से नहीं की जा रही है।

मा0 उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 11194 / 2023 में दिनांक 05.10.2023 को आदेश पारित कर भ्रष्टाचार से संबंधित आपराधिक प्रकरणों में लोक सेवक के विरूद्ध विधि अनुसार की जाने वाली न्यायिक / अनुशासनिक कार्यवाही को किये जाने में बरती जा रही उपेक्षा एवं विलम्ब की ओर राज्य सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए, इसमें सुधार हेतु आवश्यक उपाय करने के साथ ऐसे आरोपित लोक सेवकों एवं उनके विरूद्ध यथोचित कार्यवाही किये जाने में उपेक्षा / विलम्ब कारित करने वाले अधिकारियों / कर्मचारियों के विरुद्ध भी आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश प्रदान किये गये हैं।

अतः इस विभाग के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 30.08.2017 एवं 22.04.2019 द्वारा जारी निर्देशों की निरन्तरता में यह निर्दिष्ट किया जाता है कि आपराधिक प्रकरणों में एफ. आई.आर. की प्रति प्राप्त होने के उपरान्त आरोपित लोक सेवक के कृत्य से यदि प्रथम दृष्टया आचरण नियमों का उल्लंघन किया जाना पाया जाता है तो आरोपित लोक सेवक के विरूद्ध अधिकतम तीन माह की समयावधि में सक्षम प्राधिकारी के स्तर से अनुशासनात्मक कार्यवाही संस्थित किया जाना सुनिश्चित किया जावें।

आरोपित लोक सेवक के विरुद्ध उपरोक्तानुसार संस्थित हो सकने वाली अनुशासनिक कार्यवाही में यदि जानबूझकर उपेक्षा / विलम्ब कारित किया गया है, तो ऐसी उपेक्षा / विलम्ब कारित करने वाले अधिकारियों / कर्मचारियों के विरुद्ध भी अनुशासनात्मक कार्यवाही संस्थित की जावें।

कृपया उक्त निर्देशों की पालना कठोरता से सुनिश्चित करावें।

6/11/23

(हेमन्त कुमार गेरा)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि :– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल, राजस्थान जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान जयपुर।
3. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
4. महानिदेशक, पुलिस / भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।
5. रक्षित पत्रावली।

6/11

(डॉ. एम.पी.सिंह)
शासन संयुक्त सचिव